



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272989  
CG-DL-E-30052026-272989

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2643]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

**का.आ. 2736(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.634 (अ) , तारीख 06.02.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिल्हे में आर्णी तालूके में जवला एवम कोसदणी गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी. 320.580 से कि.मी.400.575 कि.मी (महागांव-यवतमाल खंड) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.03.2026" को "सकाळ" और "लोकमत समाचार" दोनों में प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां.361 के कि.मी. 320.580 से कि.मी. 400.575 (महागांव-यवतमाल खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: यवतमाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आर्णी					
गांव का नाम: जवला					
1	426/2/1	निजी	कृषिक	0.24	अंकुश भूमिधर मेहर 426/2/1
2	426/2/2	निजी	कृषिक	0.14	नर्सिंग थावरा जाधव 426/2/2
गांव का नाम: कोसधणी					
3	5	निजी	कृषिक	0.03	ललितादेवी रामप्रकाश तिवारी, देवेन्द्र रामप्रकाश तिवारी, धर्मेन्द्र रामप्रकाश तिवारी, योगेंद्र रामप्रकाश तिवारी 5
4	6	निजी	कृषिक	0.46	भास्कर नारायणराव तिवारी, ललितादेवी रामप्रकाश तिवारी, देवेन्द्र रामप्रकाश तिवारी, धर्मेन्द्र रामप्रकाश तिवारी, योगेंद्र रामप्रकाश तिवारी 6
<b>Total</b>				<b>0.87</b>	

[फा. सं. NHA/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

**S.O. 2736(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 634 (E), dated 06.02.2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 in the stretch of land from Km. 320.580 to Km. 400.575 (Mahagaon-Yavatmal Section) in village Jawla & Kosdani Taluka Arni District Yavatmal in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Sakal" and " Lokmat Samachar" both dated 08.03.2026, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.320.580 to Km 400.575 (Mahagaon-Yavatmal Section) in the district of Yavatmal in the State of Maharashtra**

State: MAHARASHTRA			District: YAVATMAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Arni</b>					
<b>Village: Jawala</b>					
1	426/2/1	Private	Agriculture	0.24	Ankush Bhumidhar Mehar 426/2/1
2	426/2/2	Private	Agriculture	0.14	Narsing Thawara Jadhav 426/2/2
<b>Village: Kosdhani</b>					
3	5	Private	Agriculture	0.03	Lalitadevi Ramprakash Tiwari, Devendra Ramprakash Tiwari, Dharmendra Ramprakash Tiwari, Yogendra Ramprakash Tiwari 5

4	6	Private	Agriculture	0.46	Bhasker Narayanrao Tiware,LalitadeviRamprakash Tiware,Devendra Ramprakash Tiware, Dharmendra Ramprakash Tiware, Yogendra Ramprakash Tiware 6
<b>Total</b>				<b>0.87</b>	

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]  
SHAIKH AMINKHAN,Director